हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

03.10.2019 वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उक्त शीर्षक वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया गया है परन्तु टंकण त्रुटिवश निर्णय व डिक्री में पक्षकारान को प्राप्त भूमि का विवरण राजीनामा अनुसार न होकर वाद पत्र में दर्जानुसार हो गया है। इसलिये राजीनामा दिनांक 02.08.2019 में दर्ज भूमि के बंटवारा अनुसार निणर्य व डिक्री में संशोधन किया जाना न्यायाहीत में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि निर्णय दिनांक 11.09.2019 व डिक्री दिनांक 20.09.2019 में राजीनामा में दर्ज बंटवारानुसार संशोधन किये जानें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में वादी के सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को ही दोहराते हुए उक्तानुसार संशोधन हेतु निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता कथनो पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 11.09.2019 एवम् डिक्री दिनांक 20.09.2019 में हुई लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर मुताबिक राजीनामा संशोधन करते हुए **"निर्णय दिनांक 11.09.2019 एवम् डिक्री दिनांक 20.09.2019 में वादी संख्या 3 को प्राप्त भूमि में किला नम्बर 6 ता 10 के स्थान पर 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमि में किला नम्बर 1 ता 5 के स्थान पर किला नम्बर 6 ता 10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।"**

उक्त आदेश निर्णय दिनांक 11.09.2019 एवम् डिक्री दिनांक 20.09.2019 का भाग रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 160 / 2019

1 सतपाल
2 दयाराम
3 रामकुमार
} पिसरान श्री प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 प्रहलाद पुत्र श्री गोपीराम, जाति कुम्हार, निवासी पक्कासारना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री कैलाश कुमार धामू अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री अमरजीतसिंह अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3. राज पैरोकार	प्रतिवादी संख्या 3

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 11.09.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है तथा वादीगण के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 की 2 पुत्री सन्तान रोशनी पत्नि लालचन्द व कमला पत्नि राजेन्द्र जाति कुम्हार निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा है।

वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. श्री गोपी वल्द नानक की चक 27 एम.एम.के. में खाता संख्या 15 / 12 पत्थर नम्बर 79 / 211 (35) किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 6.325 हैक्टर व पत्थर नम्बर 80 / 211 (36) किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 तादादी 1.265 हैक्टर कुल 7.590 हैक्टर अर्थात 30.00 बीघा भूमि थी। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 27 एम.एम.के. खाता संख्या 115 / 12 सम्वत 2059–2062 संलग्न है।

वादीगण के देहान्त उपरान्त उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुई। वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 27 एम.एम.के. खाता संख्या 44 / 43 सम्वत 2075–2078 संलग्न है।

वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने से सहदायिक सम्पति है तथा इस भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मतः हक व अधिकार (Pre-Existing right) है।

उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अपने हक व हिस्सा अनुसार बंटवारा हुआ है तथा बंटवारा के दिवस से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर बंटवारा अनुसार काबिज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त वर्णित भूमि में निम्नलिखित अनुसार कब्जा काश्त है :–

(क) वादी संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :– पत्थर नम्बर 79 / 211 (35) किला नम्बर 21 ता 25 तादादी 1.265 हैक्टर।

(ख) वादी संख्या 2 के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :– पत्थर नम्बर 79 / 211 (35) किला नम्बर 11 ता 15 तादादी 1.265 हैक्टर।

(ग) वादी संख्या 3 के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :– पत्थर नम्बर 79 / 211 (35) किला नम्बर 6 ता 10 तादादी 1.265 हैक्टर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :– पत्थर नम्बर 79/211 (35) किला नम्बर 1 ता 5 व 16 ता 20 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 80/211 (36) किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 तादादी 1.265 हैक्टर।

वादीगण का वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित भूमि में पैतृक सम्पति होने के नाते पूर्व विद्यमान हक व हित नीहित है तथा प्रत्येक वादीगण उक्त भूमि में से पांच–पांच बीघा भूमि का खातेदार है लेकिन राजस्व अभिलेख में अभी तक वादीगण के नाम यह भूमि दर्ज नहीं होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं होने से उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के मुश्तहक व दावेदार हैं कि वादपत्र की चरण संख्या–6 में (क) व (ख) तथा (ग) में वर्णित भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं।

चक 27 एम.एम.के. के खाता संख्या 44/43 की भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। वादीगण मुताबिक घोषणा उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाते हुये खाता विभाजन के अधिकारी हैं।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से अर्सा 1 सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वह वादपत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित अनुसार हुये बंटवारा के अनुसार चक 27 एम.एम.के. के खाता संख्या 44/43 में वर्णित भूमि में वादीगण की 15 बीघा भूमि होना स्वीकार कर लेवे तो वह टालमटोल करने लग गया। यही वाद कारण है।

वादपत्र वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता विभाजन हेतु है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के स्थानीय दौत्राधिकार में स्थित है तथा वादीगण द्वारा याचित अनुतोष माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। अतः यह वादपत्र 2/– रूपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है जो हर प्रकार से अन्दर मियाद है।

अतः वादपत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि चक 27 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 44/43 सम्वत 2075–2078 तादादी 7.590 हैक्टर मय गैरमुमकिन रास्ता जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में वादीगण 3.795 हैक्टर अर्थात 15 बीघा भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं।

(ख) मुताबिक घोषणा वादी संख्या 1 का चक 27 एम.एम.के. के खाता संख्या 44/43 के पत्थर नम्बर 79/211 (35) के किला नम्बर 21 ता 25 तादादी 1.265 हैक्टर तथा वादी संख्या 2 का पत्थर नम्बर 79/211 (35) के किला नम्बर 11 ता 15 तादादी 1.265 हैक्टर व वादी संख्या 3 का पत्थर नम्बर 79/211 (35) के किला नम्बर 6 ता 10 तादादी 1.265 है0क्टर का खाता अलग–अलग कायम फरमाया जावे।

(ग) मुताबिक घोषणा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा दुरूस्त कर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(ड) अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत हो, वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 02.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

Scanned by CamScanner

6

2. वादी संख्या 2 दयाराम पुत्र श्री प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
27 एम.एम.के.	15/12	79/211 (35)	11 ता 15	1.265 हैक्टर

3. वादी संख्या 3 रामकुमार पुत्र श्री प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
27 एम.एम.के.	15/12	79/211 (35)	06 ता 10	1.265 हैक्टर

4. प्रतिवादी वादी संख्या 1 प्रहलाद पुत्र श्री गोपीराम जाति कुम्हार निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
27 एम.एम.के.	15/12	79/211 (35)	01 ता 05 व 16 ता 20	2.530 हैक्टर
		80/211 (36	1, 10, 11, 20, 21	1.265 हैक्टर
कुल भूमि :–				3.795 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 160 / 2019

1 सतपाल
2 दयाराम
3 रामकुमार
} पिसरान श्री प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 प्रहलाद पुत्र श्री गोपीराम, जाति कुम्हार, निवासी पक्कासारना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 11.09.2019

वादीगण की और से श्री कैलाश कुमार धामु अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री अमरजीतसिंह सन्धू अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 20.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि चक 27 एम.एम.के. में खाता संख्या 15 / 12 कि कुल 7.590 हैक्टर भूमि में वादीगण 1 ता 3 प्रत्येक को 1.265 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत उनकी खातेदारी भूमि का मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 सतपाल पुत्र श्री प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
27 एम.एम.के.	15 / 12	79 / 211 (35)	21 ता 25	1.265 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 दयाराम पुत्र श्री प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
27 एम.एम.के.	15 / 12	79 / 211 (35)	11 ता 15	1.265 हैक्टर

3. वादी संख्या 3 रामकुमार पुत्र श्री प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
27 एम.एम.के.	15 / 12	79 / 211 (35)	06 ता 10	1.265 हैक्टर

4. प्रतिवादी वादी संख्या 1 प्रहलाद पुत्र श्री गोपीराम जाति कुम्हार निवासी पक्कासारना तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
27 एम.एम.के.	15 / 12	79 / 211 (35)	1 ता 5 व 16 ता 20	2.530 हैक्टर
		80 / 211 (36	1, 10, 11, 20, 21	1.265 हैक्टर
कुल भूमि :–				3.795 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.02 11:34:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: